(ग) भारत बंगलादेश सीमा पर जानवरों की तस्करी को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए है। इन कदमों में शामिल है :—सीमा चौकियों के बीच के अन्तराल को कम करने के लिए सीमा सुरक्षा बल की संख्या में वृद्धि, सघन गश्त, अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर ओ.पी. टावर खड़े करना और तटवर्ती क्षेत्रों मे बेहतर निगरानी तथा गश्त के लिए नाइट विजन डिवाइसिस, दूरबीन आदि की आपूर्ति करना।

राजभाषा संबंधी संसदीय-समिति की सिफारिशें

1794. **श्री सोमपाल :**
श्री सुरेश पचौरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी अध्यक्षता में संसदीय राजभाषा समिति ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केवल अंग्रेजी में आयोजित की जा रही अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिए सभी भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाने के संबंध में कोई सिफारिशें की है; और

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों पर गृह मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और मंत्रालय उस पर कब तक अनुकूल कार्रवाई करने का विचार रखता है

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के खण्ड 3 और 4 में संघ सरकार की सेवाओं/पदों पर भर्ती के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी के ज्ञान के विकल्प के संबंध मे सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प, 1960 के परिप्रेक्ष्य मे की गई है। उक्त संकल्प में संघ सरकार की सेवाओं/पदों पर भर्ती के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी के ज्ञान की अनिवार्यता: अपेक्षा करने तथा अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने का प्रावधान किया गया है। इन सिफारिशों का कार्यान्वयन कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाना है। उक्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि इन सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में पुलिस की दो नई वाहिनियों का गठन करने के लिये अनुदान

1795. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटूभाई पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1990 में केंद्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को दो नई वाहिनियो के गठन के लिए 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में और 50 प्रतिशत राशि ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार को इस प्रयोजनार्थ अब तक कोई राशि न दिए जाने के क्या कारण हैं और उक्त राशि कब तक प्रदान कर दी जाएगी और

(ग) क्या सरकार की यह नीति है कि मध्य प्रदेश की वाहिनियों को अपने खर्चे पर अन्य राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए तैनात किया जाए और यदि नहीं तो सरकार द्वारा अपने निदेश पर राज्य को वाहिनियों की तैनाती पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा राज्य मंत्री श्री राजेश पायलट : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार को इस संबंध में 4 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है । राज्य सरकार द्वारा आवश्यक अपेक्षित प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति पर और अधिक 'राशि" का जारी किया जाना निर्भर करता है ।

(ग) मौजूदा निर्देशों के अधीन छूट प्राप्त राज्यों के अतिरिक्त अन्य प्राप्तकर्ता राज्य, उन्हें उधार दी गई सशस्त्र पुलिस की उन बटालियनों पर आने वाले व्यय की प्रति-पूर्ति करेंगे । छूट प्राप्त राज्यों के संबंध में भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना होता है और यह कि नियमित रूप से किया जा रहा है ।

मध्य प्रदेश पुलिस को अन्य राज्यों में तैनाती

1796. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटूभाई पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की कितनी वाहिनियों को केंद्रीय सरकार के निर्देश पर देश के अन्य राज्यों में तैनात किया गया है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार से अन्य राज्यों में वाहिनियों की तैनाती पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया है और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ;

(ग) किन-किन राज्यों में तैनात की गई वाहिनियों पर हुए व्यय की प्रति-पूर्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जानी है ; और

(घ) क्या सरकार ने यह निर्देश जारी किए हैं कि यदि केंद्र के निर्देश पर राज्य-सरकार की पुलिस वाहिनियां अन्य राज्यों में तैनात की जाती हैं, तो संबंद्ध राज्य को तिमाही 25 लाख रुपए की राशि का अग्रिम भुगतान किया जाए, यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार की वाहिनियों की तैनाती के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इन निर्देशों का पालन किया जा रहा है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राजेश पायलट : (क) केंद्र सरकार के अनुरोध पर मध्य प्रदेश एस.ए.एफ. की 4 बटालियनों (इंडिया रिजर्व की 2 बटालियनों सहित) को राज्य से बाहर तैनात किया गया है ।

(ख) जी, हां, श्रीमान । हालांकि सामान्यतः बल उधार मांगने वाले राज्य को, बल देने वाले राज्य को प्रतिपूर्ति करनी होती है, केंद्र सरकार द्वारा चूक करने वाले राज्यों को दी जाने वाली राशि में मध्य प्रदेश सरकार को देय बकाया राशि की वसूली के लिए समाधिकारी कार्रवाई की जाती है । चूक करने वाले राज्यों को दी जाने वाली केंद्रीय राशि से कटौती करके मध्य प्रदेश सरकार को 391.50 लाख रु. की राशि का भुगतान किया गया है ।

(ग) शून्य ।

(घ) मार्च, 1989 में अनुदेश जारी किए गए थे कि बल उधार मांगने वाले राज्य, ऋण पर उन्हें दिए गए सशस्त्र पुलिस बटालियनों पर हुए व्यय की प्रति-पूर्ति प्रति बटालियन, प्रति सिपाही 25 लाख रु की दर से तिमाही आधार पर करेंगे । यह उम्मीद थी कि सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र इन अनुदेशों का पालन करेंगे । तथापि यह देखा गया कि असम राज्य, संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ और लक्षद्वीप उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार को भुगतान नहीं कर